

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर**  
**जिला चित्तौडगढ़**  
**पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर०ए०एस०)**

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती भावना सिंह. (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 482/2015  
दायर दिनांक :- 01/02/2022  
निर्णय दिनांक :- 22.02.2022

उनवान

1. ओमप्रकाश पिता सोहनलाल ब्राह्मण निवासी पारी तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. रामकिशन पिता सोहनलाल ब्राह्मण निवासी पारी तहसील भूपालसागर  
2. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :- 1. श्री रूपसिंह राणावत  
2. पैरोकार सरकार

:-निर्णय:-

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंतर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:-


यह है कि मौजा पारी पटवार हल्का पारी तहसील भूपालसागर के हल्के बेरुनी मे वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात खाता सं. 40 में दर्ज आ.न. 273, 293, 302, 303, 306, 307, 391, 406, 407, 3139/260, 3332/406 किता 11 रकबा 6.82 हैक्टे. एवं खाता संख्या 39 में दर्ज आ.नं. 405, 3349/313 किता 2 रकबा 0.65 हैक्टे. स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा व हक है जिसका मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बंटवाडा किया हुआ है लेकिन कानूनन बंटवाडा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी बोन, लगान जमा कराने बाबत विवाद रहता है। वादी ने जरिये बंटवाडा डिक्री करवाने हेतु निवेदन किया है। इस लिए वादी को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.06.2016 के द्वारा तहसीलदार भूपालसागर को बंटवाडा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु भेजा गया। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहु पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी की बहस व बंटवाडा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंड्राज करने के आदेश दिये जाते है। फर्द मौका व बंटवाडा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा-

| क्र.सं | काश्तकार                                    | आ.न. | रकबा<br>में |
|--------|---|------|-------------|
| 1      | श्री ओमप्रकाश पिता सोहनलाल ब्राह्मण सा. देह | 306  | 0.25        |
|        |   | 302  | 0.45        |
|        |   | 303  | 0.15        |
|        |   | 273  | 0.63        |

|   |   |            |      |
|---|---|------------|------|
|   |   | 391        | 0.85 |
|   |   | 405        | 0.62 |
|   |   | 407        | 0.53 |
|   |   | 3332 / 406 | 0.21 |
| 2 | श्री रामकिशन पिता सोहनलाल ब्राह्मण सा. देह  | 306        | 0.25 |
|   |   | 307        | 0.65 |
|   |   | 293        | 0.86 |
|   |   | 391        | 0.85 |
|   |   | 405        | 0.63 |
|   |   | 406        | 0.60 |
|   |   | 3332 / 406 | 0.29 |
| 3 | श्री ओमप्रकाश पिता सोहनलाल ब्राह्मण सा. देह | 3339 / 260 | 0.25 |
|   | श्री रामकिशन पिता सोहनलाल ब्राह्मण सा. देह  | 3349 / 313 | 0.65 |

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंड्राज हेतु भेजी जावें। इस बाबत पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



स (भावना सिंह) एवं  
जिलाधिकारी किलकटर एवं भूपालसागर  
(उपसुपरिण्ड अधिकारी, राज.)  
भूपालसागर